उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार–249404
Website:psc.uk.gov.in

संख्या : 593/84/03/डी0आर0(स0नि0)/सेवा–1/2024–25 दिनांक :: 13.01.2026

<u>लघु विज्ञप्ति</u>
<u>सहायक निदेशक (डेरी विकास विभाग) चयन– 2025</u>

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड डेरी विकास विभाग के अंतर्गत **सहायक निदेशक (समूह–'ख') के रिक्त 01 पद (अनारक्षित)** पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन संख्याः–A-2/DR/S-1/2025 दिनांक 16-12-2025 द्वारा आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये गए थे।

2. विज्ञापन के **अतिमहत्वपूर्ण निर्देशों के बिन्दु संख्या 10** के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि **05.01.2026** तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किए जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर online edit window लिंक दिनांक **13.01.2026 से 22.01.2026 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)** खोला जाएगा, जिसके संबंध में दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–

(1) **(Edit/Correction)** हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।

(2) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की गई है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई–मेल आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉग–इन कर पायेंगे।

(3) लॉग–इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 को छोड़कर) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।

(4) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा **Update** हो सकेगा।

(5) **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् **Edited Data** ही अंतिम माना जायेगा।

(6) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का **शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय** होगा। किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को **अन्य फील्डस में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं** होगा।

(7) अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिये गये शुल्क को रिफंड नहीं किया जायेगा।

3. इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त **संशोधन/परिवर्तन** (Edit/Correction) के अंतिम अवसर के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गयी किसी भी प्रविष्टियों/दावों को संशोधित/परिवर्तित करने के प्रत्यावेदन/अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

- SD-

(अशोक कुमार पाण्डेय)

सचिव